

105/19

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स अज
मौखण्ड शंकर


हुकम की तामी में
जारी हुए

27/9/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अंभे वादी पतिवादी उपस्थिति
पीठासीन अधिकारी उपस्थित न पधारें है।
पत्रावली वास्ते अ. आ. आयन्दा दिनांक 20/12/22
का पेश हो।

20/12/22 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी
आधिवक्ता को तीन आवाजे बगई
जाने के वावजूद अनुपस्थित। अतः
पत्रावली अन्तर्गत धारा 53-88
RTA इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल
शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पुनश्च: पत्रावली अफम हाजरी व
अफम पैरवी पर खारिज की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ